संख्या- 09/2018/2133/33-2-2018-420जी/17

प्रेषक,

जितेन्द्र बहादुर सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 31 अगस्त, 2018

विषय- प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस दिये जाने हेतु पूर्व में निर्धारित व्यवस्था को संशोधित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या-858/33-2-96-57डब्ल्यू/91, दिनांक 30 मार्च, 1996 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रदेश की जिला पंचायतों को मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 30-03-1996 के प्रस्तर-1(1) में दी गई व्यवस्था को निम्नवत संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

शासनादेश दिनांक 30-03-1996 के प्रस्तर-1(1) में दी गई व्यवस्था	शासनादेश दिनांक 30-03-1996 के प्रस्तर-1(1) की संशोधित व्यवस्था
" जिला पंचायत में मृत पशु शव निस्तारण की रायल्टी की धनराशि विगत 03 वर्षों की औसत वार्षिक आय अथवा गत वर्ष की आय, जो भी अधिक हो, के बराबर निर्धारित की जाएगी। आगामी किसी वर्ष में रायल्टी की धनराशि पिछले वर्ष की रायल्टी में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके निर्धारित की जाए"	" जिला पंचायत में मृत पशु शव निस्तारण की रायल्टी की धनराशि विगत 03 वर्षों की औसत वार्षिक आय अथवा गत वर्ष की आय, जो भी अधिक हो, के बराबर निर्धारित की जाएगी। आगामी किसी वर्ष में रायल्टी की धनराशि पिछले वर्ष की रायल्टी में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके निर्धारित की जाए" परन्तु यदि उपरोक्तनुसार मृत पशु शव निस्तारण के ठेके/लाइसेंस समितियों द्वारा नहीं लिये जाते हैं तो पैतृक रूप से उक्त पेशे से जुडे लोगों के मध्य

http://shasanadesh.up.nic.in

	व्यापक प्रचार-प्रसार करके मृत पशु शव निस्तारण के ठेके/लाइसेंस सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से सर्वाधिक बोली (जो जिला पंचायत बोर्ड द्वारा निर्धारित धनराशि से कम नहीं हो) को स्वीकार करते हुए दिए जाए।

2- उपर्युक्त विषयक मूल शासनादेश संख्या-858/33-2-96-57डब्ल्यू/91, दिनॉक 30 मार्च, 1996 का प्रस्तर-1(1) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा । उक्त शासनादेश दिनॉक 30-03-1996 के शेष प्राविधान, प्रतिबन्ध व शर्तें यथावत् लागू रहेंगी ।

3- उक्त संशोधन तात्कालिक प्रभाव से लागू माने जायेंगे ।

कृपया उक्त संशोधित व्यवस्था के अनुसार मृत पशु शव निस्तारण के लाइसेंस दिये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

जितेन्द्र बहादुर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या : 09/2018/2133(1)/33-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर।
6- निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य वित्त अधिकारी, जिला परिषदें, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
9- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, उ0प्र0।
10- उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- स्थानीय निधि लेखा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बृज नन्दन लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।